विवरण 2क

ब.अ. 2017-18 और सं.अ. 2017-18 के बीच व्यय के बड़े अंतरों का विवरण

वर्ष 2017-18 के लिए व्यय का संशोधित अनुमान 2017-18 के बजट अनुमान की तुलना में ₹ 71,015 करोड़ की निवल वृद्धि दर्शाता है। व्यय की मदें, जहां अन्तर आए हैं, नीचे दर्शाई गई है:-

(₹ करोड़)

		ब.अ. 2017-18	सं.अ. 2017-18	अन्तर बचत(-)/ आधिक्य(+)
1	राज्यों को अनुदान और ऋण	307553	368585	(+) 61032
2	पेंशन	131201	147387	(+) 16186
3	ब्याज भुगतान	523078	530843	(+) 7764
4	रक्षा	262390	267108	(+) 4718
5	पुलिस	65576	69704	(+) 4128
6	शिक्षा	36884	38649	(+) 1765
7	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान और ऋण	3996	5272	(+) 1276
8	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	16836	17312	(+) 476
9	अन्य सब्सिडियां	126937	123843	(-) 3094
10	खाद्य सब्सिडी	145339	140282	(-) 5057
11	रक्षा को छोड़कर पूंजी परिव्यय	183280	164006	(-) 19274
12	अन्य व्यय	343665	344760	(+) 1095
	कुल व्यय	**2146735**	**2217750**	**(+) 71015**

वृद्धि मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से हुई:-

1. जीएसटी लागू करने पर हुई राजस्व की हानि के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति का भुगतान।
2. "रक्षा पेंशन" और भारत संचार निगम लिमिटेड में आमेलित दूरसंचार विभाग के तत्कालीन कर्मचारियों को देय पेंशन के अंतर्गत अधिक आवश्यकता।
3. बाजार ऋण, 91 दिनों की राजकोषीय हुंडियों और आरक्षित निधि पर ब्याज के भुगतान के अंतर्गत अधिक आवश्यकता।
4. रक्षा सेवाओं के राजस्व व्यय के तहत अधिक आबंटन।
5. आंतरिक सुरक्षा की स्थापना व्यय के लिए अधिक आवश्यकता।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को मुहैया कराया गया अधिक परिव्यय।
7. जीएसटी लागू करने पर हुई राजस्व की हानि के लिए संघ राज्य क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति का भुगतान।
8. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को मुहैया कराया गया अधिक आबंटन।

कमी मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से हुई

9. उर्वरक सब्सिडी एवं पेट्रोलियम सब्सिडी के अंतर्गत कम आवश्यकता।
10. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्य सब्सिडी पर कम आबंटन।
11. आंतरिक सुरक्षा, बृहत् एवं मध्यम सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं के लिए कम परिव्यय।